न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 38/2021

1. जितेन्द्र आयु 35 साल पुत्र शिवचरन
2. बलवीर आयु 25 साल पुत्र शिवचरन
3. अमरेश आयु 22 साल पुत्र शिवचरन

} जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

4. पिंकी आयु 19 साल पुत्री शिवचरन पत्नी दरबसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम नगला पहलवान मजरा जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. भदई आयु 40 साल पुत्र रतनलाल
6. शिवराम आयु 50 साल पुत्र रतनलाल

} जातियान जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.........अपीलान्टान

बनाम

जमुना देवी आयु 46 साल पत्नी श्री सरूपलाल जाति जाटव निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

.........रैस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 03.01.2008 कैम्प प्रभारी अधिकारी ग्राम गाजीपुर तहसील

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ...

बयाना। बाबत नामान्तरकरण संख्या 326 वाकै ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना

उपस्थित :— 1. श्री नारायणसिंह अभि0 अपी0
2. श्री सी0एम0 गुप्ता, अभि0 रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 06.01.2022

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश कैम्प प्रभारी प्रभारी अधिकारी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना दिनांक 03.01.2008 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 326 बाकै ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 326 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज संख्या 326 नियमों के विपरीत मंजूर किया है जो काविल निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने विक्रय पत्र दिनांक 17.08.2007 का भली भांति अवलोकन नहीं करके मनमाने तरीके से दाखिल खारिज मंजूर किया है। तहत न्यायालय ने कब्जे के संबंध में कोई जानकारी एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। तहत न्यायालय ने इस तथ्य की जानकारी नहीं की कि दाखिल खारिज में इन्द्राजित अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के शामिल कब्जे काश्तकारी में है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने विक्रय पत्र तारीखी 17.08.2007 फर्जी व बनावटी होने के बाबजूद भी उसको नजरअंदाज किया गया है। अपीलान्ट को दाखिल खारिज मंजूर होने की जानकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि
जाटव, निवासी ग्राम

दिनांक 21.08.2021 को रैस्पोडेन्ट द्वारा वमुकाम गाजीपुर धमकी देने पर हुई। अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

वकील रैस्पो0 अपने कथनों में जाहिर किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 03.01.2008 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.08.2007 की अनुपालना में भरा गया है। अपीलान्ट के द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना में मुकदमा नम्बर 68/2021 उनवानी जितेन्द्र बनाम जमुना देवी पेश किया गया है। रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.08.2007 आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और ना ही स्थगन आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार बयाना के द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 03.01.2008 विधि सम्बत है। अन्त में योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 03.01.2008 को कैम्प प्रभारी अधिकारी द्वारा राजस्व कैम्प गाजीपुर में खुले मजमेआम में जांच कर मुताविक वयनामा दिनांक 17.08.2007 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। रैस्पोडेन्ट जमुनादेवी पत्नी सरूपलाल द्वारा रतन पुत्र कुन्दन जाति जाटव निवासी गाजीपुर से जरिये बयनामा दिनांक 17.08.2007 क्रय किया है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 326 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.08.2007 के आधार पर स्वीकार किया गया है और उक्त बयनामा किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कैम्प प्रभारी अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 326 को स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। हम अपीलाधीन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

संक्षेप में अपील ...

आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)